



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2013-ज्येष्ठ 24, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शादी से पहले कु. विजयेता था. शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती प्रियंका जैन पत्नी श्री प्रतीक जैन हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(विजयेता जैन)

(133-बी.)

नया नाम :
(प्रियंका जैन)
पता—315, ओसवाल सेरी,
वार्ड नं. 09, शाजापुर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, फैज खान ने अपना नाम परिवर्तन कर मोहम्मद तारिक खान कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(फैज खान)

(145-बी.)

नया नाम :
(मोहम्मद तारिक खान)
2/1, साऊथ हरसिद्धी, इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सौरभ ने अपना नाम परिवर्तन कर स्वप्नील जैन कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(सौरभ)

(146-बी.)

नया नाम :
(स्वप्नील जैन)
पिता चन्द्रप्रकाश जैन,
221, विंध्याचल नगर, इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम डिम्पल नरेन्द्रसिंह होरा पिता नरेन्द्रसिंह होरा था, जो अब परिवर्तित होकर मनमीत कौर पति सतपालसिंह हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम मनमीत कौर पति सतपालसिंह के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(डिम्पल नरेन्द्रसिंह होरा)

(152-बी.)

नया नाम :

(मनमीत कौर)

पति सतपालसिंह,

पता—27, बसंतपुरी माँ विहार कॉलोनी के सामने,

ए. बी. रोड, इन्दौर (म. प्र.).

CHANGE IN NAME

I, Deepesh Hinduja hereby declare that I have change my name as Danish Hinduja S/o Arjundas Hinduja, so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(Deepesh Hinduja)

(154-B.)

New Name :

(Danish Hinduja)

S/o Arjundas Hinduja,

Add—386-387, Khatiwala Tank,

Flat No. 102, Sagar Palace, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

शादी पूर्व मेरा नाम सुनिता पाठक था, जिसे शादी के बाद बदलकर श्रद्धा दुबे (SHRADDHA DUBEY) कर लिया है. अब मुझे नये नाम श्रद्धा दुबे (SHRADDHA DUBEY) से लिखा-पढ़ा जाए.

पुराना नाम :

(सुनिता पाठक)

(SUNITA PATHAK)

(147-बी.)

नया नाम :

(श्रद्धा दुबे)

(SHRADDHA DUBEY)

बैरसिया, भोपाल (म. प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम लीना बोहरा था, जिसे मैंने अपना उपनाम बदलकर लीना जैन कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे नए नाम लीना जैन से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(लीना बोहरा)

(LEENA BOHRA)

(148-बी.)

नया नाम :

(लीना जैन)

(LEENA JAIN)

701, पुष्प रत्न प्राइड,

35/2, न्यू पलासिया, इन्दौर (म. प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रितेश बोहरा था, जिसे मैंने अपना उपनाम बदलकर रितेश जैन कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे नए नाम रितेश जैन से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(रितेश बोहरा)

(RITESH BOHRA)

(149-बी.)

नया नाम :

(रितेश जैन)

(RITESH JAIN)

701, पुष्प रत्न प्राइड,

35/2, न्यू पलासिया, इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम संदीप रमेश कुमार चौपड़ा था, जिसे मैंने बदलकर संदीप चौपड़ा (SUNDEEP CHOPRA) कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम संदीप चौपड़ा (SUNDEEP CHOPRA) से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(संदीप रमेश कुमार चौपड़ा)

(संदीप चौपड़ा)

(SANDEEP RAMESH KUMAR CHOPRA)

(SUNDEEP CHOPRA)

बालाजी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर,

कोटा रोड़, छावनी नाका,

आगर मालवा, जिला शाजापुर (म. प्र.).

(150-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गिरीश कुमार अस्टोलिया, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर. मैं अब दिनांक 10 जून, 2011 से अपना नाम बदलकर गिरीश कुमार महावर कर रहा हूँ. अतः मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(गिरीश कुमार अस्टोलिया)

(गिरीश कुमार महावर)

163-ए, सूर्यदेव नगर,

इन्दौर (म. प्र.).

(137-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मुस्कान हबलानी पत्नि श्री अनिलकुमार हबलानी, शादी पूर्व मेरा नाम कु. मीतू रामचन्दानी पुत्र स्व. श्री चन्द्रप्रकाश रामचंदानी था. जिसे मैंने नोटरी शपथ-पत्र द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2011 को श्रीमती मुस्कान हबलानी के नाम से परिवर्तित किया है. मैं चाहती हूँ कि भविष्य में मुझे मुस्कान हबलानी के नाम से ही जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :

नया नाम :

(कु. मीतू रामचन्दानी)

(मुस्कान हबलानी)

पता—सूर्या अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं. 303,

समाधिया कॉलोनी, लशकर, ग्वालियर.

(138-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय बौद्ध पुत्र श्री चरणदास पाटिल, निवासी—264, अम्बेडकर नगर, भोपाल (म. प्र.) शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ—

1. यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों में विजय कुमार पाटिल पुत्र श्री चरणदास पाटिल दर्ज/अंकित है एवं इसी नाम से जाना/पहचाना जाता था.
2. यह कि अब मैंने अपना नाम विजय कुमार पाटिल से बदलकर विजय बौद्ध रख लिया है.
3. यह कि अब मुझे इसी नाम (विजय बौद्ध) के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

नया नाम :

(विजय कुमार पाटिल)

(विजय बौद्ध)

(139-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं धर्मेन्द्र साहनी पिता स्व. बंसू साहनी, निवासी वार्ड क्रमांक 16, तहसील व ग्राम परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश मेरी कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक की अंकसूची एवं शाला अभिलेख में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार साहनी हो गया है, जो कि त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है, पॉलीटेकनिक महाविद्यालय एवं बीई रायपुर द्वारा प्रदत्त अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम धर्मेन्द्र साहनी पिता बंसू साहनी दर्ज है, जो कि सत्य एवं सही है, भविष्य में मुझे धर्मेन्द्र साहनी स्व. बंसू साहनी के नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(धर्मेन्द्र कुमार साहनी)

(140-बी.)

नया नाम :

(धर्मेन्द्र साहनी)

पता—पेंच व्हेली चीप हाउस,
वार्ड क्र. 16, परासिया, तहसील परासिया,
जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मनोहर डेयरी एण्ड रेस्टोरेंट पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00059/13 सन् 2013-14 दिनांक 23-05-2013 पर पंजीकृत फर्म है. उक्त फर्म में निम्न भागीदार हैं. 1. मुरलीधर हरवानी, 2. मनोहर हरवानी, 3. कुश हरवानी. उक्त भागीदारों में से श्री कुश हरवानी दिनांक 01-04-2013 को फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं फर्म का नाम भी परिवर्तित कर मनोहर फूड्स किया गया है. उक्त सूचना से सर्वविदित हो.

Indore Dated 01.06.2013

From

For Agrawal Jhavar Associates
Chartered Accountants

(132-B.)

Dharmendra Agrawal
Prop.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स टीकमदास एण्ड ब्रदर्स में पूर्व साझेदार श्री सूर्यप्रकाश खत्री पुत्र श्री कोढामल खत्री, निवासी मुडियन का कुआ, दतिया में अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01-04-2008 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं उनके स्थान पर श्री पंकज खत्री पुत्र श्री टीकमदास खत्री इसी दिनांक को भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा फर्म के नाम में भी इसी दिनांक से परिवर्तन किया जा रहा है जो कि पूर्व में मैसर्स टीकमदास एण्ड ब्रदर्स के स्थान पर टीकमदास एण्ड सन्स कर दिया गया है. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पंकज खत्री,

पार्टनर,

फर्म टीकमदास एण्ड ब्रदर्स,

पुरानी सब्जी मंडी, दतिया.

(151-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सचिन बजाज ऑटोमोबाईल, गुरुद्वारा रोड स्थित बजाज शोरूम द्वारा दोपहिया वाहन का विक्रय किया जा रहा है. इस शोरूम का नाम बदलकर सचिन बजाज कर दिया गया है एवं इस फर्म के सभी लेन-देन एवं अन्य व्यापारिक कार्य जहां पर भी "सचिन बजाज ऑटोमोबाईल" नाम का उपयोग होता था वहां पर अब "सचिन बजाज" लिखा एवं पढ़ा एवं जाना जाएगा.

दिनांक : 20-03-2013

(153-बी.)

वास्ते
सचिन बजाज,
पार्टनर.

जाहिर सूचना

मेसर्स बड़जात्या ज्वेलर्स 52, बड़ा सराफा के साझेदारी फर्म के साझेदार श्री धनकुमार जी बड़जात्या का निधन 11-10-2011 को हो गया है। तत्पश्चात् साझेदारी के रिक्त हुये स्थान पर शेष सभी साझेदारों की आपसी सहमति एवं स्वीकृति से श्रीमती चंचल पति श्री धनकुमार बड़जात्या को साझेदार बनाया गया है। उपरोक्त जाहिर सूचना जनहित में प्रकाशित की जाती है।

बड़जात्या ज्वेलर्स

52, बड़ा सराफा, इंदौर (साझेदारी फर्म)

(134-बी.)

ललित कुमार बड़जात्या,

पार्टनर,

मेसर्स बड़जात्या ज्वेलर्स.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रिद्धी-सिद्धी रियलीटी, पता—39/1, श्रद्धानंद मार्ग, छावनी, इन्दौर, म. प्र. में पार्टनर मुरलीधर एरन पिता श्री छगनलाल अग्रवाल एवं दीपक पिता श्री महेशचन्द्र अग्रवाल थे तथा दिनांक 04-04-2011 से नये और दो पार्टनर उक्त फर्म में सम्मिलित हुए हैं जिनके नाम क्रमशः 1. राजकुमार अग्रवाल पिता श्री मुरलीधर एरन, 2. अमन एरन पिता श्री दीपक अग्रवाल सो विदित हो. मेसर्स रिद्धी-सिद्धी रियलीटी फर्म के रजिस्टर में क्रमांक 03/27/03/00140/12 सन् 2012-2013 के रूप में लिखा गया है।

For Riddhi-Siddhi Realty

मुरलीधर एरन,

पार्टनर.

(135-बी.)

For Riddhi-Siddhi Realty

दीपक अग्रवाल,

पार्टनर.

For Riddhi-Siddhi Realty

अमन एरन,

पार्टनर.

For Riddhi-Siddhi Realty

राजकुमार अग्रवाल,

पार्टनर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एस. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स जिसका कार्यालय पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास, वार्ड नं. 25, प्रेमनगर, बालाघाट, जिला बालाघाट में है। उक्त फर्म में श्री संतोष असाठी पिता स्व. श्री रामनारायण असाठी दिनांक 01-04-2011 से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा 1. श्री संतोष असाठी पिता स्व. श्री रामनारायण असाठी कर्ता (एच.यू.एफ.), 2. श्री संजय असाठी पिता स्व. श्री रामनारायण असाठी, 3. श्रीमति रूचिता असाठी पति श्री संदीप असाठी, 4. श्रीमति अनामिका असाठी पति श्री सुधीर असाठी, 5. श्री राहुल असाठी पिता श्री राजेन्द्र असाठी दिनांक 01-04-2011 से उक्त फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित हुये हैं। इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

संदीप असाठी,

साझेदार,

वास्ते मेसर्स एस. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,

पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास,

वार्ड नं. 25, प्रेमनगर, बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.).

(136-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. यूनिवर्सल ग्राइन्डर्स एण्ड प्रोसेसर्स, छतरपुर के अभी तीन पार्टनर हैं जिसमें श्रीमती सुमित्रा सिंह परिहार, निवासी ग्रीन एवेन्यू, छतरपुर, श्री राकेश साहू, निवासी कडा की बरिया, जिला छतरपुर, श्री आशीष बाजपेयी, निवासी—पुराना पन्ना नाका, सटई रोड, छतरपुर के नाम शामिल हैं लेकिन अब इस फर्म मे. यूनिवर्सल ग्राइन्डर्स एण्ड प्रोसेसर्स, छतरपुर की पार्टनरशिप से स्वेच्छा से श्रीमती सुमित्रा सिंह परिहार पति श्री बृजेन्द्र सिंह गौतम एवं श्री आशीष बाजपेयी पुत्र श्री सी. एल. बाजपेयी अलग हो रहे हैं। अगर आज दिनांक तक किसी व्यक्ति या फर्म का श्रीमती सुमित्रा सिंह परिहार एवं श्री आशीष बाजपेयी द्वारा फर्म मे. यूनिवर्सल ग्राइन्डर्स एण्ड प्रोसेसर्स, छतरपुर के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें। इसके बाद किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

दिनांक : 09-12-2012

द्वारा

सीमा साहू, राकेश साहू,

मे. यूनिवर्सल ग्राइन्डर्स एण्ड प्रोसेसर्स,

छतरपुर (म.प्र.).

(141-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. डायमंड ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर के अभी तक तीन पार्टनर हैं जिसमें श्रीमती उपमा गोस्वामी (त्रिपाठी), निवासी तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर तथा श्रीमती पायल बरसैया, निवासी—ऊदल चौक, महोबा, जिला महोबा एवं श्री अजय बरसैया, निवासी—ऊदल चौक, महोबा, जिला महोबा के नाम शामिल हैं लेकिन अब इस फर्म मे. डायमंड ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज की पार्टनरशिप से स्वेच्छा से श्रीमती उपमा गोस्वामी (त्रिपाठी) पुत्री श्री एम. के. गोस्वामी अलग हो रही हैं. अगर आज दिनांक तक किसी व्यक्ति या फर्म का श्रीमती उपमा गोस्वामी (त्रिपाठी) द्वारा फर्म मे. डायमंड ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें. इसके बाद किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जायेगा.

दिनांक : 03-06-2013

(142-बी.)

अजय बरसैयाँ,

द्वारा,

मे. डायमंड ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज,
तहसील-लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म. प्र.).

NOTICE

NOTIFICATION U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

This is to notify that Shri Narendra Jain S/o Shri Kalyanmal Jain and Shri Nikunj Jain S/o Shri Nareshchand Jain has been retired from the partnership firm M/s L. T. Developers, Indore having Registration No. 03/27/01/00027/13, Dated 25-04-2013 w.e.f. 31-10-2012 and remaining partnership stands at still.

The constitution of the firms stands altered accordingly.

NITESH JAIN,

Partner,

For M/s L. T. Developers.

MANISH JAIN,

Partner,

For M/s L. T. Developers.

(143-B.)

NOTICE

NOTIFICATION U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

This is to notify that M/s L. T. Developers, Indore. Having Registration No. 03/27/01/00027/13, Dated 25-04-2013 decided to admit two new partners Shri Manish Jain S/o Shri Kanti Lal Jain and Shri Nitesh Jain S/o Shri Dinesh Jain in the partnership firm M/s L. T. Developers, Indore w.e.f. 01-04-2012 and remaining partners remains at stand still.

The constitution of the firms stands altered accordingly.

NITESH JAIN,

Partner,

For M/s L. T. Developers.

MANISH JAIN,

Partner,

For M/s L. T. Developers.

(144-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम उपनाम सहित कोसर जहां (KOSER JAHAN) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित समीना बी (SAMINA BEE) हो गया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम उपनाम सहित समीना बी (SAMINA BEE) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(कोसर जहां)
(KOSER JAHAN)

नया नाम :

(समीना बी)
(SAMINA BEE)

(155-बी.)

23, लक्ष्मी टॉकीज सेन्ट्रल लॉज के पास,
वार्ड नं. 19, भोपाल (म.प्र.) पिन-462001

विविध

निविदा सूचनाएं

रीवा, दिनांक 06 जून, 2013

क्र./भण्डार/2013-14/669.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा में स्थापित मुद्रण मशीनों में निम्नानुसार सुधार कार्य कराया जाना है।
विवरण निम्नानुसार है :—

1. पी. ओ. 36 शीटफेड आफसेट मुद्रण मशीन 59 × 84 आकार—1. फीडर यूनिट रिपेरिंग, 2. स्टाक रजिस्टर यूनिट, 3. डैम्पिक यूनिट रिपेरिंग, 4. इंक यूनिट (रबड़ रोलर कम्पलीट सेट एवं राइडर रोलर), 5. डिलेवरी यूनिट, 6. मैन ड्राइव पीनियन, 7. इम्प्रेशन सिलेण्डर रिपेरिंग, 8. डी. सी. ड्राइव कार्ड.

2. आर. ओ. 62 आफसेट रील मुद्रण मशीन 42 × 59 आकार—1. कम्पलीट राइडर रोलर एवं रबर रोलर रबराइजेशन में रिफोर्टिंग, 2. ड्रैम्पिंग रिपेरिंग, 3. प्लेट पट्टी स्कू, 4. इंक यूनिट, 5. सिलेण्डर की बेरिंग, 6. इंक डक्ट रिपेरिंग.

कृपया इच्छुक व्यवसायी अपना अधिकृति प्रतिनिधि शासकीय कार्य अवधि में इस मुद्रणालय में भेजकर उक्त मशीनों को चेक करवाकर होने वाले व्यय की दरों की निविदाएं अलग-अलग मशीनवार दिनांक 22 जून, 2013 से 29 जून, 2013 तक इस मुद्रणालय में जमा कर सकेंगे. टेण्डर फॉर्म एवं शर्तें दिनांक 21 जून, 2013 से 24 जून, 2013 तक रुपये 100/- नगद जमाकर इस मुद्रणालय से प्राप्त की जा सकती है.

1-2

(310)

लोरेन्स राबर्टसन,

उप-नियंत्रक,

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा (म.प्र.).

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 24 मई, 2013

प्र. क्र. /12-13/बी-113.

फॉर्म-4

[नियम (11) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि ट्रस्टी महामण्डलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानानंदजी गुरु सेवानंद निवासी—जवासा आदि ने “अखण्ड शिव ज्ञानानंद संत आश्रम ट्रस्ट” का निर्माण कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची दर्शाई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति, जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : अखण्ड शिव ज्ञानानंद संत आश्रम ट्रस्ट, ग्राम जवासा.
2. चल सम्पत्ति : 52,114/- (बावन हजार एक सौ चौदह रुपये मात्र).
3. अचल सम्पत्ति : मौजा जवासा, सर्वे क्र. 477, रकबा 0.10 है.

(301)

नरोत्तम भार्गव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी, राजस्व, क्षेत्र बदनावर, जिला धार

बदनावर, दिनांक 5 मार्च, 2013

प्र. क्र. /बी-113/12-13.

प्रारूप क्रमांक 4

[नियम 5 (1)]

क्र. 319/री-1/2013.—एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विमलनाथ स्वामी जैन श्वेताम्बर चारथुई मूर्ती पूजक ट्रस्ट, कानवन, तहसील बदनावर, जिला धार मार्फत विमल कुमार पिता बाबूलाल जैन, निवासी कानवन, तहसील बदनावर, जिला धार द्वारा हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 (2) के तहत ग्राम कानवन, तहसील बदनावर स्थित श्री विमलनाथ स्वामी भगवान का जैन मंदिर है जिसमें भगवान एवं देवी देवताओं की प्रतिमायें विगत 100 वर्ष से समाजजनों द्वारा पूजा अर्चना का कार्य किया जाता रहा है. जिसका रजिस्टर्ड ट्रस्ट पंजीयन नहीं होने से व्यवस्था का सुचारु रूप से संचालन करने हेतु ट्रस्ट का गठन किये जाने हेतु निम्नानुसार पदाधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया .—

1.	श्री समरथमल पिता पूनमचंद्रजी जैन, निवासी कानवन	अध्यक्ष
2.	श्री विमल कुमार पिता बाबूलालजी जैन, निवासी कानवन	सचिव
3.	श्री पुखराज पिता चांदमलजी जैन, निवासी कानवन	सदस्य
4.	श्री सुनिल पिता शांतिलालजी सोनी, निवासी कानवन	सदस्य
5.	श्री राजेन्द्र पिता बाबूलालजी मोदी, निवासी कानवन	सदस्य
6.	श्री विमलकुमार पिता राजमलजी चौधरी, निवासी कानवन	सदस्य
7.	श्री विमलकुमार पिता रखबचंदजी जैन, निवासी कानवन	सदस्य
8.	श्री दिलीपकुमार पिता रखबचंदजी पटवा, निवासी कानवन	सदस्य
9.	श्री राजेन्द्रकुमार पिता बाबूलालजी बुरड, निवासी कानवन	सदस्य
10.	श्री शुभम पिता सुरेशचंद्रजी जैन, निवासी कानवन	सदस्य
11.	श्री सुरेश पिता शैतानमलजी सोनी, निवासी कानवन	सदस्य
12.	श्री विजयकुमार पिता राजमलजी मोदी, निवासी कानवन	सदस्य
13.	श्री सुनील पिता बाबूलालजी मोदी, निवासी कानवन	सदस्य

उपरोक्त ट्रस्टी सदस्यों द्वारा संचालन मंदिर निर्माण तथा धार्मिक क्रियाओं के संचालन तथा मंदिर की संपत्तियों का रखरखाव सांस्कृतिक, शैक्षणिक, चिकित्सकीय गतिविधियों, आय-व्यय का लेखा-जोखा आदि कार्यों का संचालन किये जाने हेतु लोक न्यास का गठन प्रस्तावित किया गया. मंदिर की संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व संपत्ति)

न्यास का नाम व पता	:	विमलनाथ स्वामी जैन श्वेताम्बर चारथुई मूर्ती पूजक ट्रस्ट, कानवन, तहसील बदनावर, ग्राम कानवन.
न्यास की चल-अचल सम्पत्ति	:	1. भगवान के चांदी मुकुट 3 नग, अनुमानित 500 ग्राम. 2. न्यास का बैंक खाता बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कानवन, बचत खाता क्रमांक 981110110004300 रुपये 501142/-. 3. न्यास की भूमि 3000 वर्गफिट एवं साधु संतों को ठहरने हेतु एक मंजिल भवन 1320 वर्गफिट में बना है.

उक्त कार्यवाही के संबंध में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो सप्रमाण मेरे न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 5 जून, 2013 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपत्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद प्राप्त आपत्ति पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 4 मार्च, 2013 को मेरे न्यायालय एवं हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई.

(308) अरुण कुमार रावल,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक /बी-113/2012-13.

फॉर्म-4

[नियम 11 देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

जैसा कि "प्रज्ञाचक्षु प्रतिष्ठान ट्रस्ट" कार्यालय-आई 35, वार्ड नंबर 17, राजवैद्य कालोनी, गेहूँखेड़ा, कोलार रोड, भोपाल न्यासी भन्ते अनोमदस्सी की ओर से अधिवक्ता द्वारा ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2012 को विचार में लिया जायेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "पन्द्रह दिवस" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता . . "प्रज्ञाचक्षु प्रतिष्ठान ट्रस्ट"
आई 35, वार्ड नंबर 17, राजवैद्य कालोनी, गेहूँखेड़ा, कोलार रोड, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति . . 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र).
3. अचल सम्पत्ति . . कुछ नहीं.

(309) राजेश श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, कायथा	01/07-03-81	1794/25-11-11

1	2	3	4
2.	एकता प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्यादित, कायथा	1544/09-03-81	1107/22-07-09
3.	श्री दामोदर वंशीय सहकारी साख संस्था मर्यादित, उज्जैन	355/15-02-92	560/23-02-10
4.	गंगामाता चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, झीतरखेड़ी	184/25-05-64	3051/29-12-12
5.	चर्मशोधक एवं चर्मकर्म सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबलारेहवारी	153/05-09-62	3051/29-12-12
6.	बहुउद्देशीय चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, चन्देसरा	06/18-11-60	3051/29-12-12
7.	चर्मोद्योग एवं चर्मकर्म सहकारी संस्था मर्यादित, फतेहाबाद	126/29-08-66	3051/29-12-12
8.	चर्मउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, लेकोड़ा	127/28-08-61	3051/29-12-12
9.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, लोहाना	148/30-04-62	3051/29-12-12

अतः मैं, बी. एस. बक्तारिया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 25 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(302)

उज्जैन, दिनांक 25 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	दिग्विजय महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मलोड़ा तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	42/12-05-2003	2052/17-09-2010	623/22-04-2009
2.	जाग्रति महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मतांगना, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	52/04-06-2003	2052/17-09-2010	623/22-04-2009
3.	भारतमाता महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता जमालपुरा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	51/04-06-2003	2052/17-09-2010	623/22-04-2009

अतः मैं, बी. एस. बक्तरिया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 25 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

बी. एस. बक्तरिया,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(302-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2013/556 उज्जैन, दिनांक 8 मार्च, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	रामगढ़ बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्यादित रामगढ़, तहसील व जिला उज्जैन	69/05-06-2004	556/08-03-2013
2.	उज्जैननी बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्यादित उज्जैन, तहसील व जिला उज्जैन.	28/30-11-2002	556/08-03-2013
3.	नवनीत बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्यादित नरवर, तहसील व जिला उज्जैन.	88/31-10-2007	556/08-03-2013
4.	महालक्ष्मी बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्यादित बलेड़ी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	27/30-11-2006	556/08-03-2013
5.	साँवरिया बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्यादित घुड़ावन, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	122/18-05-2010	556/08-03-2013
6.	पटेल बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्यादित चकरावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.	87/26-09-2007	556/08-03-2013

अतः मैं, एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 25 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(303)

एस. के. मालवीय,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./126.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 458, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के द्वारा रंगाई छपाई सहकारी संस्था मर्या., जोबट, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 635, दिनांक 31 मार्च, 1958 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ओ. पी. यादव, वरि. सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप- रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(304)

दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./127.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 650, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 के द्वारा लुहारी सुतारी सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर, तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 343, दिनांक 18 जनवरी, 1959 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ओ. पी. यादव, वरि. सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप- रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

सी. पी. सिंह भदौरिया,

उप-रजिस्ट्रार.

(304-A)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2013-ज्येष्ठ 24, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेषाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित रहा है.—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कराहल, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, लहार, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), लौण्डी, छतरपुर, राजनगर (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुनौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना, खुरई, बंडा, सागर, रहली, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), गोपदवनास, सिहावल, मझौली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), राजगढ़, व्यावरा, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, कुरवाई, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), हुजूर (भोपाल), बैतुल (बैतूल), पाटन, जबलपुर, मझौली (जबलपुर), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), सोंसर, पांढुर्णा, चौरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील शाहगढ़ (सागर), जीरापुर (राजगढ़), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, अमरवाडा, हरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कुण्डम (जबलपुर), परासिया (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील जामई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, शहडोल में जुताई व बैतूल में गन्ना की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला श्योपुर, पन्ना व खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—जिला रायसेन में पाला तुषार से 20 से 25 प्रतिशत फसलों को क्षति हुई है।

5. कटाई.—जिला सिहोर में फसल चना व झाबुआ, इन्दौर में गेहूँ, चना व सिंगरौली में मसूर, अलसी व विदिशा में रबी फसल तेवडा, मटर, मसूर, चना व बैतूल में गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, गन्ना, मण्डला में कटाई एवं हरदा, सिवनी में रबी फसल की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, शहडोल, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, तिल समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल 4.0 3. विजयपुर 4.0	.. 4.0 4.0				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2.0 2. भिण्ड 2.0 3. गोहद 2.0 4. मेहगांव .. 5. लहार 10.2 6. मिहोना } 7. रौन } 3.0	2.0 2.0 2.0 .. 10.2 3.0 3.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2.9 2. डबरा 3.0 3. भितरवार 4.0 4. घाटीगांव ..	2.9 3.0 4.0 ..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, गन्ना अधिक. गेहूँ, मक्का कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	4.0				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	10.0				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद. ..	7. पर्याप्त. 8. ..
1. गुना	..				
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, जौ, आलू अधिक. राई-सरसों, अलसी, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	1.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, जवा अधिक. गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	9.0				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	5.0				
5. राजनगर	7.8				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक. तुअर, गेहूँ, चना, जौ, अलसी कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	5.2				
2. पन्ना	2.0				
3. गुन्नौर	5.0				
4. पवई	5.0				
5. शाहनगर	2.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	4.2				
2. खुरई	5.2				
3. बण्डा	6.3				
4. सागर	6.4				
5. रेहली	2.0				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	4.0				
8. राहतगढ़	3.0				
9. केसली	3.0				
10. मालथोन	7.2				
11. शाहगढ़	28.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगावां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. जवा	..				
5. हनुमना	..				
6. मनगावां	..				
7. हजूर	..				
8. गुढ़	..				
9. रायपुरकचुल्लियान	..				
10. नईगढ़ी	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मूंग, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
5. बुढ़ार	..				
6. गोहपारू	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अधिक. राहर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान व विगड़ी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
*जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. गोपदवनास	7.4		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, जौ, मसूर, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	4.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	2.0				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	5.0				
6. रामपुरनैकिन	4.5				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. मसूर, अलसी की कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. सरसों कम. तुअर, मसूर, मटर, अलसी, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्धड़का	..				
8. शामगढ़	..				
9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	..				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी मसूर, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. थोदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. उदयगढ़ 4. सोण्डवा 5. भामरा 6. कट्टीबाड़ा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक, गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) कपास, गेहूँ, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
*जिला पूर्ण-निमाड़:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) चना अधिक. कपास, तुअर, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	18.5		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	17.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	2.0				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	5.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. रबी फसल तेवड़ा, मटर, मसूर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	4.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	5.0				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	11.0				
6. विदिशा	2.0				
7. ग्यारसपुर	1.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	3.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. चना, फसल की कटाई का कार्य चालू हैं.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. पाला तुषार से 20% से 25% फसलों को क्षति हुई है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की रोपाई व रबी फसल गेहूँ, चना, मसूर, अलसी एवं गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..				
2. घोडाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	1.5				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, तुअर, मूंगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, अधिक चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	7.6				
3. जबलपुर	3.4				
4. मझौली	4.1				
5. कुण्डम	47.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	0.2		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	14.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	31.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	19.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	43.0				
4. जामई (तामिया)	75.0				
5. सोंसर	13.4				
6. पांडुर्णा	4.8				
7. अमरवाड़ा	26.4				
8. चौरई	11.8				
9. बिछुआ	..				
10. मोहखेड़ा	17.2				
11. हरई	24.6				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला सतना, उमरिया, रतलाम, पूर्व निमाड़, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(300)